



THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 946

12 Aashwin, 1940(S)

Ranchi, Thursday, 4th October, 2018

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification
4th October, 2018

Notification No. -23/2018 – State Tax(Rate)

S.O. No.69 Dated-4th October, 2018-- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary so to do for the purpose of clarifying the scope and applicability of the notification of the Government of Jharkhand, in the Department of Commercial Taxes, No.12/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 42, dated the 29th June, 2017, hereby inserts the following Explanation in the said notification, in the Table, against serial number 41, in column (3), namely:-

“Explanation.-For the purpose of this exemption, the Central Government, State Government or Union territory shall have 50 per cent or more ownership in the entity directly or through an entity which is wholly owned by the Central Government, State Government or Union territory.”.

2. This notification shall be deemed to be effective from 20th September, 2018.

[File.NoVaKar / GST / 05/ 2018]
By the order of the Governor of Jharkhand

K. K. Khandelwal,
Additional Chief Secretary

Note: -The principal notification No. 12/2017 – State Tax(Rate), dated the 29th June, 2017 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, S.O. No. 42, dated the 29th June, 2017 and was last amended by notification No. 14/2018- State Tax (Rate), dated the 17th August, 2018 *vide* S.O. No. 50, dated the 17th August, 2018.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

4 अक्टूबर, 2018

अधिसूचना सं०. 23/2018- राज्य कर (दर)

एस. ओ. सं. 69 दिनांक- 4 अक्टूबर, 2018-- झारखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि झारखण्ड सरकार, वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या 12/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 जिसे एस. ओ. सं. 42, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, के क्षेत्र विस्तार और उसकी प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम संख्या 41 के समक्ष, कॉलम (3) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित करती है, यथा:-

“स्पष्टीकरण - इस छूट के उद्देश्य के लिए, ऐसे निकाय में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र का सीधे तौर पर या ऐसे किसी निकाय के माध्यम से जो कि पूर्णतया केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के स्वामित्व में आता हो, 50% या इससे अधिक का स्वामित्व अवश्य होना चाहिए।”

2. यह अधिसूचना 20 सितम्बर, 2018 से प्रवृत्त होगी।

[सं.सं. वा०कर/जी०एस०टी०/05/2018]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,
अपर मुख्य सचिव।

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 12/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 को जिसे एस. ओ. सं. 42, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 14/2018- राज्य कर (दर) दिनांक 17 अगस्त, 2018, जिसे एस. ओ. सं. 50, दिनांक 17 अगस्त, 2018 के द्वारा संशोधन किया गया है।